लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5696
06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

पारंपरिक वस्त्रों का उत्पादन

5696. श्री गिरीश भालचंद्र बापट:

क्या वस्त्र **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पारंपरिक वस्त्रों जैसे बनारसी और कोसा से बने वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने और उक्त वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देकर उन्हें विश्व स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की प्रकृति क्या है; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले बुनकरों की संख्या कितनी है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (ग): वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में पारंपरिक वस्त्रों अर्थात हथकरघा के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित दो योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम;
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना;

उपरोक्त योजनाओं के तहत पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को कच्चे माल, सामान्य अवसंरचना विकास, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा ऋणों आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इन योजनाओं का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को 90% रियायती दरों पर उन्नत करघे और सहायक उपकरण प्रदान करके उत्पादकता बढ़ाना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल उन्नयन, डिजाइनरों को नियुक्त करके डिजाइन नवाचार और उत्पाद विविधीकरण, घरेलू और विदेशी बाजारों के लिए पारंपरिक और समकालीन उत्पादों सहित हथकरघा उत्पादों के विविध प्रकारों का उत्पादन करना है। यह मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों, बायर-सेलर मीट, रिवर्स बायर-सेलर मीट आदि के आयोजन/भागीदारी के माध्यम से हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। पारंपरिक हथकरघा डिजाइनों को संरक्षित करने और हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता निर्माण और सृजन के लिए दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और कांचीपुरम के बुनकर सेवा केंद्रों में डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, 'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड (आईएचबी) को उच्च गुणवत्ता, पर्यावरण पर ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट वाले विशिष्ट हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए शुरू किया गया है तथा अब तक 1,714 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं। हथकरघा बुनकरों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने की सुविधा के लिए 23 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को जोड़ा गया है।

भौगोलिक संकेतक (जीआई) अधिनियम, 1999 के तहत उत्पादों को पंजीकृत करके पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब तक 72 हथकरघा उत्पाद और 6 उत्पाद लोगो जीआई अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। बनारस ब्रोकेड और साड़ी तथा चंपा सिल्क साड़ी एवं फैब्रिक (कोसा निर्मित) को जीआई अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है ताकि उन्हें नकल अथवा अन्यों द्वारा उनके अनधिकृत उपयोग से बचाया जा सके।

चौथी अखिल भारतीय हथकरघा संगणना 2019-20 के अनुसार, देश भर में 35.22 लाख हथकरघा कामगार हैं। उपरोक्त योजनाओं का लाभ देश की सभी पात्र हथकरघा एजेंसियों/संगठनों/हथकरघा कामगारों आदि के लिए उपलब्ध है।

****